संख्या– 970 /15-7-2004-16(111)/2003

प्रेषक,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 15-5-2004

विषय: जेनिथ कान्वेंट स्कूल सैनिक कुंज नन्दानगर गोरखपुर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के ~~मेधावी~~ बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

Manager
Zenith Convent School
Sainik Kunj, Nandanagar
GORAKHPUR

Mrs. SEEMA RAI
Principal
Zenith Convent School
Sainik Kunj, Nandanagar
GORAKHPUR

5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव

पृ०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ ।
5- प्रबंधक, जेनिथ कान्वेंट स्कूल सैनिक कुंज नन्दानगर गोरखपुर ।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव

Manager
Zenith Convent School
Sainik Kunj, Nandanagar
GORAKHPUR

Principal
Zenith Convent School
Sainik Kunj, Nandanagar
GORAKHPUR

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

जेनिथ कान्वेन्ट स्कूल,
सैनिक कुंज, नन्दानगर, गोरखपुर।

पत्रांक /अर्थ-2/ 5047-52 / 2002-2003 दिनांक- 11-9-02

विषय: प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की अस्थायी मान्यता शासनादेश संख्या-230/15-8-96-18 एस(7) दिनांक 18.1.96 एवं शासनादेश संख्या- 1873(1)/15-6-98-1(एस-(7)/89 दिनांक 10.9.98 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2002-2003 से प्रदान की जाती है।

1. परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
2. अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन चालू सत्र में करा दिया जाये।
3. अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाये।
4. बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बन्द व समाप्त अथवा स्थानान्तरित न किया जाये।
5. विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क का लेखा-जोखा रखा जाये।
6. इस कार्यालय के अनुमति के बिना किसी अर्ह, प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त न की जायेगी।
7. विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लघन तथा अनियमित कार्यो की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
8. स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु 5 वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तो को पूरा करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. नियमानुसार पांच उप वर्ग अनुमन्य होगें।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर

पृष्ठांकन संख्या / अर्थ-2/ / 2002-2003 दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
2. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
3. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
5. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6. नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र, गोरखपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर।

Manager
Zenith Convent School
Sainik Kunj Nandanagar
GORAKHPUR

Principal
Zenith Convent School
Sainik Kunj, Nandanagar
GORAKHPUR